न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 81/2017 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

1. राजेश
2. मुनीम

} पुत्रान रामस्वरूप जाति गूर्जर निवासी मालीपुरा (शेरगढ) तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.09.17 तहसीलदार बयाना मिसिल नम्बर 17/2017 उनवानी सरकार बनाम राजेश, मुनीम (91 एलआर एक्ट)

उपस्थित :

1. श्री दुलीचन्द शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक – 12.02.2020

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार बयाना की आज्ञा दिनांक 19.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार बयाना का आदेश दिनांक 19.09.2017 विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है जो काविल खारिजी के है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अपीलान्टस के खसरा नम्बर 112, 122 व 123 खातेदारी के नम्बरान है तथा उनसे लगा हुआ खसरा नम्बर 272 है, अपीलान्टस के मकान, गैतवाडे अपने

खसरा नम्बर में पूर्वजो के समय से स्थित है, जिनमें पुराने समय से ही रिहायश करते चले आ रहे है, अपीलान्टस का खसरा नम्बर 272 के किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबाब में भी यह तथ्य स्पष्ट कर दिया था कि मौके पर खसरा नम्बर 272 की नाप की जाकर बताया जावें, यदि अतिक्रमण पाया जावे तो अपीलान्टस उसे हटाने के लिये तैयार है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर जाकर कोई जांच नहीं की व नाप कर अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट नहीं की, पटवारी ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसी के आधार पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलान्टस के विरूद्ध बेदखली के साथ 30 दिवस की सजा भी कर दी है, अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्तर पर प्रकरण की नियमानुसार जांच पडताल किये बिना अपीलान्टस की खातेदारी के रकवा में बने पूर्वजों के समय से हुई तामीर को नीलाम कराने व सजा करने के आदेश दिये है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है, जबकि पूर्वजों के समय के मकान बने हुये है, तो अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को पूर्व में कब व कैसे बेदखल कर दिया यह बात स्पष्ट नहीं है। अतः पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानना अवैधानिक है व आदेश अधीनस्थ न्यायालय काविल खारिजी के है। आदेश इकतरफा है, अपीलान्टस को इसका पता दिनांक 31.10.2017 को पुलिस वालो से चला तथा उसी दिनांक को उसने तहसील में जाकर कार्यवाही का पता लगाया तथा उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र दिया जो कि दिनांक 31.10.2017 को प्राप्त हुई, इसे पढकर असल जानकारी प्राप्त हुई। अतः जानकारी के दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 19.09.2017 को निरस्त फरमाने जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्टस के खसरा नम्बर 112, 122 व 123 खातेदारी के नम्बरान है उक्त अपीलान्ट की खातेदारी नम्बरान के बगल में विवादित आराजी खसरा नम्बर

272 लगा हुआ है। अपीलान्ट के पूर्वजों के समय से अपनी खातेदारी रकवा में गैतवाडा और रिहायशी मकान बने हुये है। सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने विवादित आराजी की पैमाईश किये जाने हेतु प्रार्थना की थी परन्तु तहसीलदार ने कोई पैमाईश वगैरा नहीं की और मनमाना आदेश अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी कहना कि विवादित आराजी गैरमुमकिन सडक है जिस पर किये अतिक्रमण को हटाने का अधिकार पी.डब्ल्यू.डी. ए.ई.एन. को है। तहसीलदार द्वारा नियम विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना किसी साक्ष्य के पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में भूल की है। अतः अपीलाधीन आदेश काविल खारिज के रहता है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट में अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1989 पेज 56, आर.आर.डी. 1990 पेज 351, आर.आर.टी. 2001 (2) पेज 1163, आर.आर.टी. 2003 (1) पेज 306 उद्धरित किये तथा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार सरकार ने अपने तर्को में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 272 के रकवा 0.02 है0 पर अपीलान्ट ने मकानात टीनसैट/पाटौर वगैरा डालकर अतिक्रमण किया हुआ है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में विवादित खसरा नम्बर गैरमुमकिन सडक दर्ज है, जिस पर तहसीलदार ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट अतिक्रमी को बेदखल करने की जो आज्ञा पारित की है वह विधिवत है। अधीनस्थ न्यायालय ने बयान पटवारी लिये गये है तथा अपीलान्ट स्वयं भी तहत न्यायालय में प्रस्तुत जबाब में यह स्वीकार करता है कि विवादित खसरा नम्बर पर अपने पूर्वजों के समय से उक्त अतिक्रमण होना स्वीकार करता है। तहसीलदार को विवादित आराजी पर धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही करने का अधिकार है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया तथा योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्धरित रूलिंग का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 272 रकवा 3.55 है0 में से 0.02 है0 ग्राम शेरगढ गैरमुमकिन सडक पर पाटौर व छप्पर वगैरा का निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमी अपीलान्ट के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्बन्धित हल्का पटवारी के बयान लिये गये है जिसमें सम्वत 2074 में अपीलान्ट द्वारा किये गये अतिक्रमण का उल्लेख किया गया है। अतिक्रमी ने पुनः विवादित आराजी पर निर्माण आदि कर अतिक्रमण करना स्पष्ट है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबाब की मद नम्बर 2 मे इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पर उनके पूर्वजों के समय से ही अतिक्रमण किया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। तहसीलदार बयाना द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये नियमों के अन्तर्गत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार बयाना को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर